अपील प्रकरण क्रमांक /07

प्रस्तुती दिनांक :

माननीय राजस्व मण्डल, ग्वालियर (म.प्र.)

अपील 1467-PBR/07

दामोदर पिता प्रभुलाल सुईवाल
उम्र – 48 वर्ष, धंधा – खेती,
निवासी – 67, बियावानी, धार रोड, इन्दौर ... अपीलाण्ट

विरुद्ध

ठाकुरसिंह पिता अर्जुनसिंह जरिया
उम्र – 60 वर्ष, धंधा – रिटायर्ड,
निवासी – 36, नगर निगम रोड, इन्दौर ... रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 35 (4) म.प्र. भू–राजस्व संहिता

अपीलाण्ट तर्फे सादर निवेदन है कि :–

इसमे अपीलाण्ट श्रीमान अपर आयुक्त महोदय, इन्दौर संभाग इन्दौर द्वारा विविध प्रकरण क्रमांक 94/06–07 मे पारित आदेश दिनांक 29/08/2007 से असतुष्ट होकर नीचे लिखे आधारो पर अपील प्रस्तुत करता है :–

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 1467–पीबीआर/07 **जिला इन्दौर**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
26–11–2015	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्कों के दौरान बतलाया गया कि उभय पक्ष के मध्य जिस प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में यह निगरानी विचाराधीन है, उसके संबंध में व्यवहार न्यायालय द्वारा दिनांक 20–4–2010 को आवेदक के पक्ष में आदेश पारित किया गया है, जिसकी पुष्टि माननीय उच्च न्यायालय से हो चुकी है, इस कारण यह निगरानी निरर्थक होने से निरस्त किये जाने योग्य है । आवेदक के विद्वान अभिभाषक के उक्त तर्क की पुष्टि उनके द्वारा प्रस्तुत व्यवहार न्यायालय के आदेशों सहित माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से होती है । अतः माननीय उच्च न्यायालय से प्रकरण का गुण–दोष पर अंतिम निराकरण हो जाने के कारण इस निगरानी में गुण–दोष पर आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं है । फलस्वरूप यह निगरानी इसी स्तर पर समाप्त की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	